

भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001 (फैक्स: 23389985)

सं. एल-12011/1/2016-जीपी-।

दिनांक: 8 जून 2016

सेवा में

सीएमडी  
गेल  
नई दिल्ली

**विषय:- नए सीजीडी कंपनियों और मौजूदा सीजीडी कंपनियों के नए भौगोलिक क्षेत्रों को घरेलू प्राकृतिक गैस के आवंटन - के संबंध में ।**

\*\*\*\*

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर गेल के दिनांक 20.5.2016 के पत्र सं. गेल/सीओ /विपणन/ गैस/ 2016 /एमओपीएनजी/ सीजीडी का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि नए सीजीडी नेटवर्क के पीएनजी (घरेलू) और सीएनजी (परिवहन) क्षेत्र के उद्देश्य के लिए 1000 से 6000 एससीएमडी तक के लिए घरेलू गैस की आपूर्ति शुरू करने के गेल के अनुरोध पर मंत्रालय में दिनांक 20.8.2014 के संदर्भ सं. एल-16013/3/2012-जीपी-।। द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आलोक में विचार किया गया और गेल के उपरोक्त अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, गेल यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त उद्देश्य के लिए घरेलू गैस की आपूर्ति किसी भी समय, सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (पीएनजी) की पिछले छह महीने की औसत खपत से अधिक की अनुमति दी गई अतिरिक्त मात्रा गैस की 10% सीमा घरेलू क्षेत्र, जैसा कि दिनांक 20.8.2014 के दिशानिर्देश में दिया गया है, से अधिक नहीं होगी।

2. इसे राज्य मंत्री (प्रभारी) पीएंडएनजी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

हस्ता./-

(एस.पी. अग्रवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23388652

प्रतिलिपि: - महानिदेशक, पीपीएसी नई दिल्ली।